

1. भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2017-2018 (सं.अ.) के अंत के 82,32,653.56 करोड़ रुपए की तुलना में 2018-19 के अंत में 89,58,193.05 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़)

	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2019 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	79,89,245.06	87,03,357.16
विदेशी ऋण	2,43,408.50	2,54,835.89
जोड़	82,32,653.56	89,58,193.05

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए गए ऋण, रिजर्व बैंक को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य पार्टियों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियों के जरिए उधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया सरकारी ऋण तथा जिसके 2017-18 और 2018-2019 के अंत में बकाया रहने का अनुमान था, का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसाकि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया है।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यहास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों, स्थानीय निधियों की जमा राशियों और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2016-17 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गारंटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में हास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता/अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।